नियम 96 : भारत के बाहर निर्यात किए गए माल [1][या सेवाओं] पर एकीकृत कर का प्रतिदाय

(1) किसी [2][मालों के निर्यातकर्ता] द्वारा फाइल किए गए पोतपत्र को भारत के बाहर, निर्यात किए गए माल पर संदत्त एकीकृत प्रतिदाय के लिए आवेदन समझा जाएगा और ऐसा आवेदन केवल तब फाइल किया समझा जाएगा जब :–

(क) निर्यात माल का वहन करने वाले प्रवहण का भारसाधक व्यक्ति सम्यक् रूप से [3][प्रस्थान घोषणापत्र या] पोत पत्रों या निर्यात पत्रों की संख्या और तारीख वाली कोई निर्यात माल सूची या निर्यात रिपोर्ट फाइल करता है(और

[4][(ख) आवेदक ने **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** में विधि मान्य विवरणी प्रस्तुत की है :

परंतु यदि पोत परिवहन पत्र माल के निर्यातकर्ता द्वारा प्रस्तुत आकड़े और **प्ररूप जीएसटीआर–1** [5]**[प्ररूप जीएसटीआर–1क** में यथा संशोधित, यदि कोई हों**]** में जावक प्रदायों के विवरण में प्रस्तुत आकड़ों के बीच कोई अंतर है, तब, भारत से बाहर निर्यात किये गये माल पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय के लिये ऐसा आवेदन को उस तारिख को फाईल किया हुआ समझा जायेगा जब उक्त पोत परिवहन पत्र की बाबत् ऐसा अंतर निर्यातकर्ता द्वारा ठीक कर दिया जाता है(]

[6][(ग) आवेदक ने नियम 10ख में उपबंधित रीति से आधार अधिप्रमाणन करवाया है।]

[7]**[परंतु** माल का निर्यातक, ऐसे माल के निर्यात के पश्चात माल की कीमत में उर्ध्व पुनरीक्षण के कारण संदत्त किए गए अतिरिक्त एकीकृत कर के प्रतिदाय के लिए और जिस पर ऐसे माल के निर्यात के समय संदत्त किए गए एकीकृत कर की रकम से पहले ही इस नियम के उप–नियम (3) के उपबंधों के अनुसार वापस कर दी गई है, समान्य पोर्टल के माध्यम से **प्ररूप जीएसटी आरएफडी–01** में इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक आवेदन दाखिल कर सकता है, और ऐसे आवेदन को नियम 89 के उपबंधों के अनुसार निपटाया जाएगा।**]**

---

1 अधिसूचना क्रमांक 75/2017–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंतः स्थापित (प्रभावशील दिनांक 23.10.2017)

2 अधिसूचना क्रमांक 3/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 23.01.2018 द्वारा ''निर्यातकर्ता'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 23.10.2017)।

3 अधिसूचना क्रमांक 74/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 31.12.2018 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 31.12.2018)।

4 अधिसूचना क्रमांक 14/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 05.07.2022 द्वारा खण्ड (ख) प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)। प्रतिस्थापन के पूर्व या यह इस प्रकार था

"**(ख)** आवेदक ने [A]**[यथास्थिती, प्ररूप जीएसटीआर–3** या **प्ररूप जीएसटीआर–3ख]** में विधिमान्य विवरणी दी है।

A अधिसूचना क्रमांक 15/2017–केन्द्रीय कर, दिनांक 01.07.2017 द्वारा ''**प्ररूप जीएसटीआर–3**'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)।

5 अधिसूचना क्रमांक 12/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 10.07.2024 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 10.07.2024)।

6 अधिसूचना क्रमांक 35/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 24.09.2021 द्वारा खंड (ग) अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 38/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 21.12.2021 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2022 से प्रभावशील किया गया।

7 अधिसूचना क्रमांक 12/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 10.07.2024 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित। (प्रभावशील दिनांक 10.07.2024)।

(2) **प्ररूप जीएसटीआर–1** [8]**[प्ररूप जीएसटीआर–1क** में यथा संशोधित, यदि कोई हो**]** में अंतर्विष्ट [9]**[**निर्यात किए गए माल के संबंध में सुसंगत निर्यात बीजकों**]** के ब्यौरों को सामान्य पोर्टल द्वारा इलैक्ट्रानिक रूप से सीमाशुल्क द्वारा अभिहित सिस्टम पर पारेषित किया जाएगा और उक्त सिस्टम इलैक्ट्रानिक रूप से सामान्य पोर्टल को ऐसी पुष्टि पारेषित करेगा कि उक्त बीजकों के अन्तर्गत आने वाले माल का भारत से बाहर निर्यात किया गया है।

[10]**[………]**

(3) सामान्य पोर्टल से [11]**[प्ररूप जीएसटीआर–3ख]** में विधिमान्य विवरणी देने के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर [12]**[**सीमाशुल्क या सीमाशुल्क के समुचित अधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा अभिहित सिस्टम, मालों के निर्यात के संबंध में प्रतिदाय के दावे के लिए कार्यवाही करेगा**]** और प्रत्येक पोत पत्र या निर्यात पत्र के संबंध में संदत्त एकीकृत कर के बराबर रकम को इलैक्ट्रानिक रूप से आवेदक के रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों में वर्णित और सीमाशुल्क प्राधिकारियों को यथा सूचित उसके बैंक खाते में जमा की जाएगी।

(4) प्रतिदाय के दावे को वहां विधारित कर दिया जाएगा, जहां,–

(क) केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर अधिकारिता आयुक्त से धारा 54 की उपधारा (10) या उपधारा (11) के उपबंधों के अनुसार प्रतिदाय का दावा करने वाला व्यक्ति के प्रति देय संदाय को विधारित करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; या

(ख) सीमाशुल्क उचित अधिकारी ने यह अवधारित किया है कि माल का निर्यात सीमाशुल्क अधिनियम, [13]**[**1962; या**]** के उपबंधों के उल्लंघन में किया गया है।

[14]**[(ग)** बोर्ड में आयुक्त या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की, डाटा विश्लेषण और जोखिम पैरामिटरों के आधार पर, यह राय है कि निर्यातकर्ता के प्रत्ययपत्र का सत्यापन, जिसमें

---

[8] अधिसूचना क्रमांक 12/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 10.07.2024 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 10.07.2024)।

[9] अधिसूचना क्रमांक 3/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 23.01.2018 द्वारा 'सुसंगत निर्यात बीजकों'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 23.10.2017)।

[10] अधिसूचना क्रमांक 38/2023–केन्द्रीय कर, दिनांक 04.08.2023 द्वारा परंतुक विलोपित (प्रभावशील दिनांक 04.08.2023)। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था :

[A]**[परन्तु** यह कि जहां किसी कर अवधि के लिए **प्ररूप जीएसटीआर–1** में जावक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए तारीख का अधिनियम की धारा 37 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विस्तार किया गया है, वहां प्रदायकर्ता **प्ररूप जीएसटीआर–1** की सारणी 6क में यथा विनिर्दिष्ट निर्यातों से संबंधित जानकारी **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** में विवरणी प्रस्तुत कर दिए जाने के पश्चात् प्रस्तुत करेगा और उसे सीमाशुल्क द्वारा पदाभिहित प्रणाली को सामान्य पोर्टल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से पारेषित् किया जाएगा :

परन्तु यह और कि पहले परंतुक के अधीन सारणी 6क में प्रस्तुत जानकारी उक्त कर अवधि के लिए **प्ररूप जीएसटीआर–1** में स्वतः प्रारूपित की जाएगी।]

A अधिसूचना क्रमांक 51/2017–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.10.2017 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 28.10.2017)।

[11] अधिसूचना क्रमांक 19/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.10.2022)। पहले यह इस प्रकार थाः ''**प्ररूप जीएसटीआर–2** [A]**[**यथास्थिती, **प्ररूप जीएसटीआर–3** या **प्ररूप जीएसटीआर–3ख]''**

A अधिसूचना क्रमांक 15/2017–केन्द्रीय कर, दिनांक 01.07.2017 द्वारा ''**प्ररूप जीएसटीआर–3**'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)।

[12] अधिसूचना क्रमांक 3/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 23.01.2018 द्वारा ''सीमाशुल्क द्वारा अभिहित सिस्टम प्रतिदाय के दावे के लिए कार्यवाही करेगा'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 23.10.2017)।

[13] अधिसूचना क्रमांक 14/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 05.07.2022 द्वारा ''1962'' प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)।

[14] अधिसूचना क्रमांक 14/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 05.07.2022 द्वारा खण्ड (ग) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)।

निर्यातकर्ता द्वारा आईटीसी का लिया जाना भी है, राजस्व के हित को सुरक्षित रखने के लिये प्रतिदाय की मंजूरी से पूर्व आवश्यक समझा जाता है।**]**

(5) [15]**[......]**

[16]**[(5क)** जहां प्रतिदाय उपनियम (4) के खण्ड (क) या खण्ड (ग) के उपबंधों के अनुसार रोका गया है, वहां ऐसा दावा प्रणाली सृजित **प्ररूप जीएसटी आरएफडी–01** में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से, यथा स्थिति, केन्द्रीय कर, राज्य कर, या संघ राज्य क्षेत्र कर के समुचित अधिकारी को पारेषित किया जायेगा और पारेषण की सूचना सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से निर्यातकर्ता को भी भेजी जायेगी और किसी अन्य नियम में अंतर्विष्ट तत्प्रतिकुल बात के होते हुये भी, उक्त प्रणाली सृजित प्ररूप ऐसा मामलों में प्रतिदाय के लिये आवेदन समझा जायेगा और ऐसे पारेषण की तारिख को फाईल किया गया समझा जायेगा। **(5ख)** जहां प्रतिदाय उपधारा (4) के खण्ड (ख) के उपबंधों के अनुसार रोका गया है और सीमा शुल्क समुचित अधिकारी ऐसा कोई आदेश पारित करता है कि माल, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) के उपबंधों का उल्लघंन करते हुये निर्यात किया गया है वहां ऐसा दावा प्रणाली सृजित **प्ररूप जीएसटी आरएफडी–01** में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से, यथास्थिति, केन्द्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्य क्षेत्र कर के समुचित अधिकारी को पारेषित किया जायेगा और ऐसे पारेषण की सूचना सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से निर्यातकर्ता को भी भेजी जायेगी और किसी अन्य नियम में अंतर्विष्ट तत्प्रतिकूल बात के होते हुये भी, उक्त प्रणाली सृजित प्ररूप ऐसे मामलों में प्रतिदाय के लिये आवेदन समझा जायेगा और ऐसे पारेषण की तारिख को फाईल किया गया समझा जायेगा।

(5ग) उपनियम 5 (क) और उपनियम 5(ख) के अनुसार सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से पारेषित **प्ररूप जीएसटी आरएफडी–01** में प्रतिदाय के लिये आवेदन पर नियम 89 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।**]**

(6) एवं (7) [17]**[......]**

---

15 अधिसूचना क्रमांक 14/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 05.07.2022 द्वारा उपनियम 5 विलोपित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017) विलोपन के पूर्व उपनियम 5 इस प्रकार था

"**(5)** जहां उपनियम (4) के खंड (क) उपबंधों के अनुसार प्रतिदाय विधारित किया जाता है वहां सीमाशुल्क स्टेशन का एकीकृत कर उचित अधिकारी आवेदक और यथास्थिति, केन्द्रीय कर अधिकारिता आयुक्त, राज्य कर अधिकारिता आयुक्त या संघ राज्यक्षेत्र कर अधिकारिता आयुक्त को सूचित करेगा और ऐसी सूचना की एक प्रति सामान्य पोर्टल को पारेषित करेगा।"

16 अधिसूचना क्रमांक 14/2022–केन्द्रीयकर, दिनांक 05.07.2022 द्वारा उपनियम 5(क), 5(ख) एवं 5(ग) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)

17 अधिसूचना क्रमांक 14/2022–केन्द्रीयकर, दिनांक 05.07.2022 द्वारा उपनियम (6) एवं (7) विलोपित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017) विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था :

"**(6)** उपनियम (5) के अधीन सूचना के पारेषण पर, यथास्थिति, केन्द्रीय कर उचित अधिकारी, राज्य कर उचित अधिकरी या संघ राज्यक्षेत्र कर उचित अधिकारी **प्ररूप जीएसटी आरएफडी–07** के [A]**[**भाग क] में आदेश पारित करेगा।

(7) जहां आवेदक उपनियम (4) के खंड (क) के अधीन विधारित रकम के प्रतिदाय का हकदार हो गया है वहां यथास्थिति, संबंधित केन्द्रीय कर अधिकारिता अधिकारी, राज्य कर अधिकारिता अधिकारी या संघ राज्यक्षेत्र कर अधिकारिता अधिकारी [B]**[प्ररूप जीएसटी आरडीएफ–07** के भाग–ख में रोके गए प्रतिदाय

(8) केन्द्रीय सरकार, माल के ऐसे वर्ग के लिए जो इस निमित्त अधिसूचित किया जाए भुटान को निर्यात पर, भुटान सरकार को एकीकृत कर के प्रतिदाय का संदाय कर सकेगी और भुटान सरकार को ऐसा प्रतिदाय संदत्त किया जाता है वहां निर्यातकर्ता एकीकृत कर के किसी प्रतिदाय का संदाय नहीं करेगा।

[18][(9) भारत के बाहर निर्यात की गई सेवाओं पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय के लिए आवेदन **प्ररूप जीएसटी आरएफडी–01** में भरा जाएगा और नियम 89 के उपबंधों के अनुसरण में व्यौहार किया जाएगा।**]**

[19]**[......]**

को जारी करने के लिए किसी आदेश को पारित करने के पश्चात् **प्ररूप जीएसटी आरएफडी–06** में कोई आदेश पारित करने पश्चात्] प्रतिदाय के लिए कार्यवाही करेगा।"

A अधिसूचना क्रमांक 15/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 18.05.2021 द्वारा पूर्व में "भाग ख" प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 18.05.2021)

B अधिसूचना क्रमांक 15/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 18.05.2021 द्वारा "**जीएसटी आरएफडी 06** में एक आदेश पारित करने पश्चात" प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 18.05.2021)

18 अधिसूचना क्रमांक 3/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 23.01.2018 द्वारा वर्तमान उप–नियम (9) के स्थान पर उप–नियम (9) एवं (10) प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 23.10.2017)। पहले अधिसूचना क्रमांक 75/2017–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.12.2017 (प्रभावशील दिनांक 23.10.2017) द्वारा उप–नियम (9) अंतःस्थापित किया गया था। चूंकि संशोधन दिनांक 23.01.2018 को दिनांक 23.10.2017 से प्रभावशील किया गया है, अतः पूर्व उप–नियम (9) यहां पर नहीं दिया जा रहा है।

19 अधिसूचना क्रमांक 20/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 08.10.2024 द्वारा उप–नियम (10) विलोपित (प्रभावशील दिनांक 08.10.2024)। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था:

"[A]**[**(10) माल और सेवाओं के निर्यात पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय कर दावा करने वाले व्यक्तियों को–

(क) ऐसे प्रदाय प्राप्त नहीं करने चाहिए, जिन पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1305(अ), तारीख 18 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 48/2017–केन्द्रीय कर, तारिख 18 अक्टूबर 2017 का सिवाय उसके, जहां तक उनका संबंध ऐसे व्यक्ति द्वारा निर्यात संवर्धन पूंजी माल स्कीम या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1320(अ), तारीख 23 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 40/2017 – केन्द्रीय कर (दर), तारीख 23 अक्टूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (प) में सा.का.नि. संख्यांक 1321(अ), तारीख 23 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 41/2017–एकीकृत कर (दर), तारीख 23 अक्टूबर, 2017 के संबंध में पूंजी माल प्राप्त करने से है, फायदे का उपभोग किया गया है; या

(ख) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1272(अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 78/2017–सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्टूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1299(अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं 79/2017–सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्टूबर, 2017 के अधीन फायदे का उपभोग, सिवाय उसके जहां तक उसका संबंध निर्यात संवर्धन पूंजी माल स्कीम के संबंध में ऐसे व्यक्ति द्वारा पूंजी माल को प्राप्त करने से है, नहीं करना चाहिए।**]]**

[B][**स्पष्टीकरण.**इस उपनियम के उद्देश्यों के लिए, उसमें उल्लिखित अधिसूचनाओं के लाभ केवल उपयोग के लिए विचार में नहीं लिए जाएंगे जहां पंजीकृत व्यक्ति निवेशों पर समाकलित माल और सेवा कर और प्रतिकर उपकर संदत्त किया है और उक्त अधिसूचना के अधीन केवल आधारभूत सीमा शुल्क (बी सी डी) छूट प्राप्त होगी।**]**

A. अधिसूचना क्रमांक 54/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 09.10.2018 द्वारा उप–नियम (10) प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 09.10.2018)। पहले अधिसूचना क्रमांक 53/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 09.10.2018 द्वारा उप–नियम (10) प्रतिस्थापित किया गया था (प्रभावशील दिनांक 23.10.2017)। दिनांक 23.10.2017 से 08.10.2018 तक यह इस प्रकार था :

"[C][(10) माल या सेवाओं के निर्यात पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा करने वाले व्यक्तियों को,–

(क) ऐसे प्रदाय प्राप्त नहीं करने चाहिए, जिन पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1305 (अ), तारीख 18 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 48/2017–केन्द्रीय कर, तारीख 18 अक्टूबर, 2017 या भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1320(अ), तारीख 23 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 40/2017–केन्द्रीय कर (दर), तारीख 23 अक्टूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1321 (अ), तारीख 23 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 41/2017–एकीकृत कर (दर), तारिख 23 अक्टूबर, 2017 के फायदों का उपभोग किया है(या

(ख) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1272(अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 78/2017–सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्टूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1299(अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 79/2017–सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्टूबर, 2017 के फायदे का उपभोग नहीं करना चाहिए।"

C पहले अधिसूचना क्रमांक 39/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 04.09.2018 (प्रभावशील दिनांक 23.10.2017) एवं अधिसूचना क्रमांक 3/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 13.01.2018 द्वारा उप–नियम (10) प्रतिस्थापित किया गया था। चूंकि अधिसूचना क्रमांक 53/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 09.10.2018 को दिनांक 23.10.2017 से प्रभावशील किया गया है, अतः पूर्व के संशोधनों को यहां नहीं दिया जा रहा है।

B. अधिसूचना क्रमांक 16/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 23.03.2020 द्वारा स्पष्टीकरण अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 23.10.2017)।